UPJL010011872026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जालौन स्थान उरई।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः–134/2026

रामबहादुर उर्फ बहादुर निषाद प्रति राज्य उत्तर प्रदेश,
मु0अ0सं0–12/2026
धारा–115(2),85,80(2), बी0एन0एस0 2023
व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम,
थाना–कदौरा, जिला जालौन।

28.03.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त रामबहादुर उर्फ बहादुर निषाद पुत्र मूलचन्द्र निवासी ग्राम निधानन का डेरा इकौना, थाना कदौरा, जिला जालौन की ओर से मु0अ0सं0 12/2026 धारा 115(2), 85, 80(2), भारतीय न्याय संहिता 2023 व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना कदौरा, जिला जालौन के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में कारागार में निरूद्ध है।

2. जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना तथा संबंधित प्रपत्रों का परिशीलन किया।

3. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 02.02.2026 को वादी मुकदमा छोटेलाल द्वारा थाना कदौरा, जिला जालौन में इस आशय की तहरीर दी गयी कि उसने अपनी पुत्री कमला का विवाह दिनांक 02.07.2024 को बीरेन्द्र कुमार पुत्र रामबहादुर उर्फ बहादुर निषाद के साथ सम्पन्न किया था। शादी के बाद पुत्री के ससुरालीजन उसकी पुत्री को अतिरिक्त दहेज के रूप में अपने मायके से एक लाख रूपये लाने का दबाब बनाने लगे, जिस पर उसकी पुत्री द्वारा मना किया गया तो उक्त सभी ससुरालीजन एकराय होकर उसकी पुत्री को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे जब यह बात उसकी पुत्री ने मायके आकर उसे व उसकी पत्नी को बताया तब उसने पुत्री के ससुरालीजन को काफी समझाया–बुझाया, परन्तु पुत्री के ससुरालीजन की प्रताड़ना समाप्त नहीं हुई और दिनांक 26.01.2026 को सायं लगभग 5:30 बजे उसकी पुत्री ने वीडियो कॉल पर उसकी पत्नी से बताया कि अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने के कारण आज उक्त सभी ससुरालीजन ने एकराय होकर उसकी पुत्री को जान से मारने की नीयत से बुरी तरीके से मारापीटा है तथा जान से मार देने की धमकी दे रहे है, तब उसकी पत्नी ने फोन पर पुत्री के ससुरालीजन को समझाया कि उसकी पुत्री को ना मारिए तब उक्त सभी ससुरालीजन एक राय होकर फोन पर ही उसे और उसकी पत्नी को बुरी–बुरी गालियां देते हुए उसकी पुत्री को जान से मार देने की धमकी देने लगे और इतना कहते ही फोन स्विच आफ कर लिया। उक्त दिनांक को ही रात्रि लगभग 11:30 बजे उसके मोबाइल पर उसकी एक रिश्तेदार का सूरत से फोन आया कि उसकी पुत्री कमला के ससुरालीजन ने मिलकर पीट–पीट कर हत्या कर दी है। तब वह रात्रि में ही किराए की गाड़ी कर के परिवार सहित पुत्री के ससुराल पहुंचा जहां पर उसकी पुत्री मृत अवस्था में सील पुलिस सुपुर्दगी में रखी हुई थी और उसकी पुत्री के उक्त ससुरालीजन मौके पर मौजूद नहीं थे। उसके द्वारा गांव में जानकारी करने पर पता चला कि उसकी पुत्री के पति वीरेन्द्र कुमार, ससुर रामबहादुर उर्फ बहादुर निषाद व गणेशी ने उसकी पुत्री की पीट–पीट कर हत्या करके मृत शरीर फांसी में लटका दिया है। उपरोक्त तहरीर के आधार पर दिनांक 02.02.2026 को ही थाना कदौरा जिला जालौन पर प्रार्थी/अभियुक्त सहित अन्य सहअभियुक्त के विरूद्ध अपराध संख्या 12/2026 धारा 115(2), 85, 80(2), बी0एन0एस0 2023 व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

Digitally signed by VIRJENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.03.31 19:33:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

4. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में इस आशय का अभिकथन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसे झूंठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से कभी कोई दहेज की मांग नहीं की गयी और न ही इस बाबत प्रताड़ित किया गया है। मुकदमा उपरोक्त में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैगिंग के अलावा मृतका के कोई मारपीट की चोट नहीं पायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त का पुत्र वीरेन्द्र कुमार कानपुर में पानी–पूड़ी बेचने का काम करता है। बहू कमला साथ जाने के लिए जिद्द करती थी। पुत्र ने समसझाया कि व्यवस्था ठीक होने पर तथा नाती थोड़ा बड़ा हो जाये तो ले जायेगा इस पर पति से वह वाद–विवाद करती थी, इसी कारण उसने आवेश में आकर आत्महत्या कर ली। प्रार्थी/अभियुक्त मय पत्नी अपने पुत्र वीरेन्द्र व बहू/मृतका से अलग मकान में रहता है। उसका तथाकथित घटना से कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने की याचना की गयी है।

5. राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किए जाने की याचना की गई है।

6. मेरे द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस डायरी एवं थाने की आख्या का अवलोकन करा गया। प्रार्थी/अभियुक्त के ऊपर यह आरोप है कि उसके द्वारा अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी मुकदमा की पुत्री जिसका कि विवाह उसके पुत्र बीरेन्द्र कुमार के साथ दिनांक 02.07.2024 को हुआ था, की दहेज हत्या कारित कर दी गयी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि मृतका कमला का विवाह दिनांक 02.07.2024 को प्रार्थी/अभियुक्त के पुत्र बीरेन्द्र कुमार के साथ किया गया था, परन्तु शादी में दिये गये दान–दहेज से प्रार्थी/अभियुक्त तथा उसके परिवारीजन खुश नहीं थे और एक लाख रूपये अतिरिक्त दहेज में दिये जाने के लिए मृतका कमला को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था और दिनांक 27.01.2026 को प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलका मृतका कमला की पीट–पीट कर हत्या कारित कर दी और उसके मृत शरीर को फांसी पर लटका दिया गया। केस डायरी में मृतका कमला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट संलग्न है, जिसमें उसकी मृत्यु का कारण मृत्यू पूर्व हैंगिंग की वजह से मृत्यु होने का उल्लेख करा गया है। मृतका कमला की मृत्यु शादी के 07 वर्ष के अन्दर असामान्य परिस्थितियों में हुई है और प्रार्थी/अभियुक्त पर अतिरिक्त दहेज के रूप में एक लाख रूपये की मांग किये जाने का आरोप लगाया है। मेरे विचार से प्रार्थी/अभियुक्त पर लगाया गया आरोप गम्भीर प्रकृति का है। जमानत के लिए आधार पर्याप्त नहीं है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त रामबहादुर उर्फ बहादुर निषाद पुत्र मूलचन्द्र निवासी ग्राम निधानन का डेरा इकौना, थाना कदौरा, जिला जालौन की ओर से मु0अ0सं0 12/2026 धारा 115(2), 85, 80(2), भारतीय न्याय संहिता 2023 व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना कदौरा, जिला जालौन के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 134/2026 निरस्त किया जाता है।

दिनांक–28.03.2026

(विरजेन्द्र कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
जालौन स्थान उरई।
जे.ओ. कोड यू.पी.–6525